विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर, जिला लाहौल व स्पीति, हिमाचल प्रदेश- 175142 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024

भाग-एक

1. प्रारम्भिक

(क) प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन) हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय पत्र संख्याः टीसीपी-सी(10)-1/201ए दिनांक 26.12.2018 द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उदयपुर, जिला लाहौल व स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया ।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उप मण्डलाधिकारी (ना०) एवं सदस्य सचिव के पदों पर कार्यरत रहेः-

(i) अध्यक्ष

क्र0 सं0	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री राम लाल मार्कंडेय	01.04.2019 से 12.12.2022
2	श्री रवि ठाकुर	13.12.2022 से 31.03.2024

(ii) उप मण्डलाधिकारी (ना०) एवं सचिव

क्र0 सं0	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री सुभाष गौतम	01.04.2019 से 22.07.2019
2	श्री कृषण चंद	30.08.2019 से 10.07.2020
3	श्री राज कुमार ठाकुर	15.07.2020 से 10.11.2021
4	श्री निशांत तोमर	15.11.2021 से 07.03.2023
5	श्री केशव राम	25.05.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर, जिला लाहौल व स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः-

क्र.सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं.	राशि (₹) लाखों में
1	अनुदानों की अनुपयोग राशि	6(III)	4.31
2	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र वांछित	6(IV)	17.20
3	दुकानों के बकाया किराये की वसूली शेष	7(III)	0.55

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर, जिला लाहौल व स्पीति, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 तक का प्रथम अंकेक्षण श्री सुनील कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री शिव कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा अवधि 22.07.2024 से 26.07.2024 तक कार्यालय, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर, जिला लाहौल व स्पीति, हिमाचल प्रदेश में सम्पन्न किया गया। आय व व्यय के विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्न मासों के लेखों का चयन किया गया तथा आगामी पैरों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण हेतु लिए आय-व्यय के चयनित मास

क्र.सं.	वर्ष	आय हेतु मास चयन	व्यय हेतु मास चयन
1.	2019-20	04/19	10/19
2.	2020-21	03/21	07/20
3.	2021-22	03/22	12/21
4.	2022-23	08/22	01/23
5.	2023-24	05/23	02/24

<u>अस्वीकरण (Disclaimer)</u> :- यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर, जिला लाहौल व स्पीति द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।''

3. **अंकेक्षण शुल्क**

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उदयपुर, जिला लाहौल व स्पीति के लेखों अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 तक के अंकेक्षण का शुल्क ₹9000/- आंका गया है। अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 12 दिनांकः 26.07.2024 द्वारा सचिव, प्राधिकरण से अंकेक्षण शुल्क की इस राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से यथाशीघ्र करने का आग्रह किया गया था ।

4. **वित्तीय स्थिति**

I. **स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति**

सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर द्वारा **परिशिष्ट "1"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 तक स्व: स्त्रोतों की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष ब्याज सहित (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2019-20	5,88,496.08	1,06,900.00	20,859.00	7,16,255.08	295.00	7,15,960.08
2020-21	7,15,960.08	1,59,400.00	20,021.00	8,95,381.08	0.00	8,95,381.08
2021-22	8,95,381.08	2,11,200.00	26,021.00	11,32,602.08	0.00	11,32,602.08
2022-23	11,32,602.08	5,60,600.00	23,973.00	17,17,175.08	55,000.00	16,62,175.08
2023-24	16,62,175.08	2,05,564.00	46,473.00	19,14,212.08	0.00	19,14,212.08

(i). **स्व: स्त्रोतों की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट -2):**

स्व: स्त्रोतों की रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष	₹ 19,14,212.08
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उदयपुर के बचत खाता संख्या 11464858618 के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष	₹ 19,14,212.08
अंतर	शून्य

II. अनुदानों की वित्तीय स्थिति :-

सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर द्वारा **परिशिष्ट "3"**पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 तक अनुदानों की रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2019-20	5,92,371.16	12,50,000.00	17,736.00	18,60,107.16	10,08,263.00	8,51,844.16
2020-21	8,51,844.16	15,00,000.00	30,600.00	23,82,444.16	9,75,391.00	14,07,053.16
2021-22	14,07,053.16	18,50,000.00	29,067.00	32,86,120.16	13,39,156.50	19,46,963.66
2022-23	19,46,963.66	20,00,000.00	42,741.00	39,89,704.66	22,14,999.00	17,74,705.66
2023-24	17,74,705.66	0.00	32,950.00	18,07,655.66	13,75,877.00	4,31,778.66

(i). अनुदानों की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट -4):

अनुदानों की रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष				₹ 4,31,778.66
बैंकों में दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष				
क्र स	***बैंक का नाम***	***खाता संख्या***	***दिनांक 31.03.2024 को अन्तशेष***	
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उदयपुर	11464857386	71053.66	
2	आई सी आई सी आई, केलांग	4535011000136	337962.00	₹ 409015.66
			अंतर	**-₹ 22,763.00**
त्रिलोकीनाथ मंदिर के बिजली के बिल का भुगतान साडा अनुदान खाता संख्या -0136 से गलती से दिनांक 12.03.2024 को किया गया था जोकि उक्त खाते में दिनांक 05.04.2024 को वापिस जमा कर दिया गया है				₹ 22,763.00
			अंतर	**शुन्य**

5 सावधि जमा (FDR) में निवेश न करना :-

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उदयपुर के बचत बैंक खातों मे दिनांक 31.03.2024 को ₹2350227/- की अत्यधिक राशि जमा थी जबकि कोई भी राशि सावधि जमा में निवेशित नहीं की गई थी। अत: अंकेक्षण द्वारा यह सुझाव दिया जाता है कि उचित वित्तीय प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए बचत खातों में पड़ी अनुपयुक्त राशि जिसकी निकट भविष्य में कोई आवश्यकता नहीं है, को सावधि जमा में निवेश करना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राधिकरण को ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित हो सके जिसे जन कल्याण हेतु व्यय किया जा सके।

6. अनुदान :-

I. अनुदान रजिस्टर का अनुरक्षण न करने बारे :

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर, जिला लाहौल व स्पीति के अवधि 04/19 से 03/24 के अनुदानों की जांच में लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राधिकरण के द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों के लिए कोई भी रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। प्रतिवर्ष लाखों रुपए के अनुदान प्राप्त होने पर भी प्रबंधकीय नियंत्रण हेतु इस प्रकार के महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना चिंता का विषय है। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SADA/UDA/HPSAD/24-25-10 दिनांक 25.07.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर से अनुरोध किया था तथा जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने पत्र संख्या: 311 दिनांक 25.07.2024 में यह प्रस्तुत किया कि साडा, उदयपुर में वर्तमान में केवल एक ही कर्मचारी है तथा कार्य की अधिकता के कारण उक्त अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया जा सका और भविष्य में उक्त रजिस्टर का अनुरक्षण कर दिया जाएगा तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा। सदस्य सचिव का उक्त प्रतिउत्तर तर्कशंगत नहीं पाया गया। अत: भविष्य में उक्त रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

II. उपायुक्त लाहौल व स्पीति से प्राप्त अनुदान को स्व-संसाधनों की रोकड़ बही में दर्शाने बारे :-

उपायुक्त लाहौल व स्पीति के मंजूरी आदेश संख्या LS/TSM/B-3/2022-13 दिनांक 23.01.2023 द्वारा चेयरमैन, SADA उदयपुर के पक्ष में ₹ 400000/- की अनुदान राशि "Installation of street light/solar light at udaipur market & administrative premises" कार्य हेतु स्वीकृत की थी, परन्तु विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त प्राप्त अनुदान राशि को अनुदान बैंक खाते में न जमा करके स्व-संसाधनों हेतु उपयोग में लाये जाने वाले बैंक खाते में जमा किया गया तथा उसकी प्रविष्टि भी स्व-संसाधनों की रोकड़ बही में की गयी जोकि लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं थी। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SADA/UDA/HPSAD/24-25-11 दिनांक 25.07.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट

करने हेतु सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर से अनुरोध किया था जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने पत्र संख्याः 312 दिनांक 25.07.2024 में यह प्रस्तुत किया कि अनुदान की राशि को अनुदानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा।

III. ₹4.31 लाख की अव्ययित अनुदान राशि शेष :-

सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SADA/UDA/HPSAD/24-25-02 दिनांक 22.07.2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को कुल ₹431779.00की अनुदानों में प्राप्त राशि व्यय हेतु शेष थी। यह राशि उन अनुदानों से सम्बन्धित है जिनका प्रयोग विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर किया जाना था। अनुदान निधि के इस अनावश्यक अवरोधन के कारण सम्भवतः लाभार्थी जनता को प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से वंचित होना पड़ा होगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

IV. अनुदानों से सम्बन्धित ₹17.20 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र वांछित :-

सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SADA/UDA/HPSAD/24-25-02 दिनांक 22.07.2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "6"** पर उपलब्ध करवाई गई विस्तृत सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों को जारी किये गये अनुदानों में से निम्न अनुसार ₹ 1719626/- की राशि के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 31.03.2024 को वाँछित थे। अतः इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

Sr. No.	Name of Work	Amount (₹)	Executing Agency	Remarks
	Year 2019-20			
1	Construction of parking place at old bus stand Udiapur	350000	Executive engineer, HPPPWD Udaipur	
	Pit near CHC hospital Udaipur	70116	BDO Udaipur	
	Year 2020-21			
2	Addition Alteration of Room No. 9 of SADA Building Udaipur	57585	BDO Udaipur	
3	Installation of iron mesh over Kuhl from house of Shiv Kumar to SBI Udaipur	434700	BDO Udaipur	

Year 2021-22				
4	Installation of 4 nos of street Light in SADA area Udaipur	50000	HPSEB Udaipur	
5	Installation of 4 nos of street Light in SADA area Udaipur	4000	HPSEB Udaipur	
6	Iron mesh over from kuhl from house of Shiv Kumar to SBI Udaipur	151269	BDO Udaipur	
7	Community toilets at Bridge Colony Udaipur	361956	BDO Udaipur	
Year 2022-23				
8	Construction of parking near old bus stand Udaipur	200000	BDO Udaipur	
9	Construction of drain near GPS Udaipur	40000	BDO Udaipur	
Total		1719626/-		

7. आय के अंकेक्षण से सम्बंधित टिप्पणियाँ

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर द्वारा अवधि 04/2019 से 03/2024 तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :-

<u>सफाई शुल्क :-</u>

I. अवधि 04/2019 से 03/2024 तक प्राप्त सफाई शुल्क

सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या : SADA/UDA/HPSAD/24-25/01 दिनांक : 16-07-2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट (7)** पर उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 तक सफाई शुल्क के रूप में ₹94700/- की राशि प्राधिकरण द्वारा वसूल की गई थी।

वित्तीय वर्ष	वसूली गई (₹)
2019-20	9300.00
2020-21	5400.00
2021-22	9600.00
2022-23	50400.00

2023-24	20000.00
कुल योग	**94700.00**

II. सफाई शुल्क से सम्बंधित अभिलेख का अनुरक्षण न किये जाने बारे :-

अंकेक्षण अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की आय की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि प्राधिकरण उदयपुर के द्वारा सफाई शुल्क के रूप में ₹94700/- वसूल किये गए थे। अंकेक्षण अधियाचना संख्या SADA/UDA/HPSAD/24-25/04 दिनांक : 23-07-2024 के सन्दर्भ में सचिव, प्राधिकरण उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में बताया गया कि सफाई शुल्क की वसूली का कार्य सभा द्वारा मद संख्या 02 दिनांक 19-09-2024 के अंतर्गत एक कमेटी (प्रधान व्यापार मण्डल, उप-प्रधान ग्राम पंचायत उदयपुर व गैर सरकारी सदस्य) द्वारा किया गया व दिनांक 05-10-2020 को मद संख्या 2 के अंतर्गत ₹50/- सफाई शुल्क प्रतिमाह घरों व दुकानों से वसूली हेतु निर्धारित किये गए। परन्तु वसूल की गई राशि से सम्बंधित अभिलेख कुल लाभार्थी, मांग व प्राप्ति रजिस्टर, प्रयोग की गई रसीद बुक) का अनुरक्षण नहीं किया गया है प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कमेटी द्वारा जमा करवाई गई राशि को रोकड़ बही में इन्द्राज करके तुरंत सम्बंधित बैंक खाते जमा करवा दिया जाता है। वसूली से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण वसूल की गई राशि की शुद्धता की जांच व सत्यापन अंकेक्षण के दौरान नहीं किया जा सका। अत: भविष्य में अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये ताकि प्राप्त की गई राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

दुकानों का किराया :-

III. दुकानों के बकाया किराये की ₹0.55 लाख वसूली शेष

सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या : SADA/UDA/HPSAD/24-25/01 दिनांक : 16-07-2024 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट (8)** पर उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 को निम्न विवरणानुसार दुकानों के बकाया किराये की ₹54978/- की वसूली शेष थी। अत: इस बकाया किराये की शीघ्रातिशीघ्र वसूली के साथ-साथ भविष्य में भी यथासमय किराये की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वर्ष	आ. शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2019-20	35778	151200	186978	97600	89378
2020-21	89378	151200	240578	154000	86578
2021-22	86578	151200	237778	201600	36178
2022-23	36178	151200	187378	110200	77178
2023-24	77178	151200	228378	173400	54978

IV. दुकानों के किराये से सम्बंधित अभिलेख तैयार न करने बारे :-

सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या : SADA/UDA/HPSAD/24-25/03 दिनांक : 23-07-2024 के प्रतिउत्तर बताया गया कि प्राधिकरण उदयपुर के द्वारा 09 दुकानों को किराए पर रु 1400/- प्रतिमाह के आधार पर दिया गया था। परन्तु किराये से सम्बंधित अभिलेख जैसे मांग व प्राप्ति रजिस्टर, प्राप्त राशि के लिये प्रयोग की गई रसीद बुक, अनुबंध अभिलेख तैयार नहीं किये गए थे। किराये से वसूल की गई राशि के लिए किसी भी रसीद बुक का मुद्रण नहीं करवाया गया था, कंप्यूटर आधरित एकल रसीद किराया देने वाले को प्रदान की जाती है व प्राप्त राशि को रोकड़ बही में इन्द्राज करके तुरंत सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है किराये से अर्जित आय का कोई भी अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण वसूल की गई राशि व उक्त पैरा 7 (III) में वसूली हेतु शेष किराये की शुद्धता की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अत: भविष्य में अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाएँ ताकि प्राप्त की गई राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

8. आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ₹ 12157/- स्त्रोत पर कर की कटौती न करने बारे

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (c) में प्रावधान है की वित्तीय वर्ष के दौरान ठेकेदार को किया गया एकमुश्त भुगतान ₹30,000/- से अधिक हो तथा सकल भुगतान ₹1,00,000/- से अधिक हो तो व्यक्तिगत भुगतान पर कुल भुगतान का एक प्रतिशत एवं फर्म/कंपनियों से दो प्रतिशत कर की कटौती की जाएगी।

हालाँकि वर्ष 2019-24 में व्यय हेतु चयनित माह की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विकास प्राधिकरण के द्वारा निम्न व्यक्तियों/फर्मों को किये गए भुगतान पर उक्त नियम के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गयी है जोकि अनियमित था।

Sr.No.	Vr.No. / Dated	Name of Person/firm	Particulars of Goods/services Provided	Amount Paid (₹)	Expected TDS deduction @ 1% & 2 %
1	75/13.01.2019	M/s Kusum Enterprices, Vill- Jawani PO Neoli Tehsil & Distt.-Kullu (Firm)	Fixing 3 nos of CCTV camera	41625	825
2.	121/30.07.20 68/10.10.19	Biru Welding Works & Sheet metal Udaipur (firm)	Making iron mesh over irrigation channel near mata temple, Udaipur	80160	1603
3.	200/ 14.12.2021	Sh. Ravinder Kumar, VPO Shansa, Udaipur	Making of 4 dustbin 4*12 16 mm thick covered from the bottom	55300	553
4	324/23.02.2024	M/s Rana Computer House & Electronics, Udaipur	Replacement of CCTV Camera and online connection	164530	3290
5	269/17.01.2023 252/06.10.22	M/s Maa Mirkula Sheet Metal industrial & welding work, udaipur	2 nos of police gumti in Udaipur	294298	5886
				Total	**12157**

इस सन्दर्भ में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SADA/UDA/HPSAD/24-25-02 दिनांक 22.07.2024 के द्वारा उक्त नियम के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 306 दिनांक 24.07.2024 के द्वारा अंकेक्षण को यह प्रस्तुत किया गया कि विकास प्राधिकरण के द्वारा अपने नाम को PAN/TAN के लिए आयकर विभाग के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया गया था, जिसके कारण उक्त भुगतान के लिए स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जा सकी। सदस्य सचिव, विकास प्राधिकरण का उक्त प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया। अत: विकास प्राधिकरण को PAN/TAN के लिए आयकर विभाग के अंतर्गत पंजीकृत कर भविष्य में भुगतानों पर स्त्रोत पर कर की कटौती सुनिश्चित किया जाये तथा कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

9. व्यय वाउचर ₹ 50160/- को आहरण अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित न करने बारे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 17 (c) के अनुसार "अनावर्ती आकस्मिक और विविध व्यय की दशा में मंजूरी प्राधिकारी जहां अपेक्षित हो एक पृथक मंजूरी के बजाए मुद्रा (धन) के आहरण से पूर्व या पश्चात बिल या वाउचर को हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करके मंजूरी प्रदान कर सकेगा"

हालाँकि व्यय की जांच हेतु चयनित माह 07/20 के वाउचर संख्या 121 दिनांक 30.07.2020 की जांच में पाया गया कि बीरू वेल्डिंग वर्क्स और सीट मेटल उदयपुर को Making iron mesh over irrigation channel near mata temple, Udaipur कार्य हेतु ₹ 50160/- का भुगतान किया गया था परन्तु उक्त वॉउचर को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उदयपुर के आहरण अधिकारी जोकि सदस्य सचिव एवं उपमंडल अधिकारी, उदयपुर, जिला- लाहौल-स्पीति थे, के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया था जिसके अभाव में उक्त फर्म को किया गया भुगतान अनिमियत है। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SADA/UDA/HPSAD/24-25-7 दिनांक 24.07.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर से अनुरोध किया था तथा जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने पत्र संख्या: 308 दिनांक 25.07.2024 में यह प्रस्तुत किया कि यह मामला उस समय के सदस्य सचिव एवं उपमंडल अधिकारी, से उठाया जाएगा तथा उक्त वाउचर को हस्ताक्षरित करने उपरांत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा। अतः दिए गए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. **विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए सहायता अनुदान के भुगतान को विनियमित करने के नियम अनुसार जरुरी अभिलेख (स्थायी सामग्री भण्डार पंजिका) का अनुरक्षण न करने बारे**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या No. TCP-A(3-1/96-1 दिनांक 08.07.2005 जिसके द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए सहायता के भुगतान को विनियमित करने के नियम जारी किये गए थे के नियम-5(v) के अनुसार" The, Special Area Development. Authority(s);shall maintain, à, register in. respect of the permanent assets acquired wholly or partially out of Government Grant. This register should be maintained by the said Special Area Development Authority(s) separately in respect of ach sanctioning Authority(s) to whom a copy Thereof record." shall be furnished annually for permanent The assets would be taken to mean all immovable property of the capital nature where the value exceeds Rs. 1000/-."

हालाँकि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उदयपुर के व्यय हेतु चयनित माहों में जांच करने पर अंकेक्षण में पाया गया कि विकास प्राधिकरण के द्वारा निमानुसार व्यय स्थायी सम्पतियों को निर्मित/ग्रहण करने हेतु किये गए थे, परन्तु विकास प्राधिकरण के द्वारा उन स्थायी सम्पतियों के लिए उक्त नियम के अनुसार कोई भी अभिलेख (Permanent (Article Stock register) तैयार नहीं किया गया था जोकि अनियमित था।

Sr. No.	Voucher No.	Partiulars of wrok/assests	Amount	Remarks
1	121/ 30.07.20	Making iron mesh over irrigation channel near mata temple, Udaipur	80160/-	out of Rs. 80160/- Rs. 30000/- paid to the supplier in advance vide vr. no. 68/10.10.19
2	200/ 14.12.2021	Making of 4 dustbin 4*12 16 mm thick covered from the bottom	55300/-	
3	269/ 17.01.2023	2 nos of police gumti in Udaipur	292298/-	out of Rs. 250000/- Rs. 150000/- paid to the supplier in advance vide vr. no. 252/06.10.22

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SADA/UDA/HPSAD/24-25-8 दिनांक 25.07.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर से अनुरोध किया था तथा जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने पत्र संख्या: 308 दिनांक 25.07.2024 में यह प्रस्तुत किया कि सम्बन्धित अभिलेख (स्थायी सामग्री भण्डार पंजिका) की जानकारी के आभाव में उक्त अभिलेख को तैयार नहीं किया जा सका जोकि तर्क संगत नहीं पाया गया। अत: उक्त अभिलेख को तैयार कर अंकेक्षण को कार्यवाही से अवगत किया जाना सुनिचित किया जाए।

11. हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियमों के विरुद्ध ₹0.46 लाख की खरीद बिना निविदा आमंत्रित किये करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 97(1) में प्रावधान है कि किसी वर्ष के दौरान कुटेशन निविदा को आमंत्रित किये बिना प्रत्येक अवसर पर ₹ 3000/- से अधिक मौद्रिक मूल्य न हो, तक का सामान खरीदा जा सकता है, बशर्ते जो अधिकतम ₹ 50000/- हो सकता है यदि मौद्रिक मूल्य ₹ 3000/- से अधिक है और ₹ 100000/- तक है तो नियम 98 के अनुसार विधिवत गठित "स्थानीय खरीद समिति" कुटेशन या निविदा को आमंत्रित कर खरीद हेतु सिफारिश करेगी।

हालाँकि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उदयपुर के व्यय हेतु चयनित माहों में की गयी खरीद की जांच करने पर अंकेषण में पाया गया कि विकास प्राधिकरण के द्वारा निम्न खरीद या कार्य उक्त नियमानुसार निविदा के आधार पर नहीं किया गया था जिसके अभाव में भुगतान की दरों की सत्यता की खरीद न्यूनतम दरों पर की गई थी, की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है तथा अनियमित है।

Sr.No.	**Voucher No. / dated**	**Partiulars of goods/services purchsed**	**Amount(₹)**
1.	74/10.10.19	Gloves & masks	6400
2.	119/10.07.20	Street Lights	27000
3.	196/01.12.21	Battery	13050
		Total	**46450**

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SADA/UDA/HPSAD/24-25-9 दिनांक 25.07.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर से अनुरोध किया था तथा जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने पत्र संख्या: 310 दिनांक 25.07.2024 में यह प्रस्तुत किया कि उक्त क्रय अति आवशयक होने के कारण निकटतम व्यपारी से बिना कुटेशन आमंत्रित

किये की गयी थी तथा भविष्य में सभी सामग्रियों को नियमानुसार ही क्रय किया जाएगा, जोकि तर्कसंगत नहीं था। अत: उक्त व्यय को यथाशीघ्र सक्षम प्राधिकारी की विशेष कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में सामान की खरीद करते समय हि0प्र0 वित्त नियमावली 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए ही सामग्री की खरीद की जानी सुनिश्चित की जाए।

12. महत्वपूर्ण रजिस्टर/अभिलेखों का अनुरक्षण न करने बारे:-

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उदयपुर के वर्ष 04/2019 से 03/2024 के आय व व्यय की नमूना जांच में पाया गया कि विकास प्राधिकरण के कई महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे मस्टर रोल रजिस्टर, अस्थायी अग्रिम रजिस्टर, यात्रा भत्ता रजिस्टर, प्राप्त अनुदान रजिस्टर, अनुदान भुगतान रजिस्टर, रसीद रजिस्टर, चैक जारी करने का रजिस्टर, आकस्मिक व्यय रजिस्टर, आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर, आदि का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके कारण लेखा परीक्षा में उक्त वर्षों में किये गए वित्तीय लेनदेनों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SADA/UDA/HPSAD/24-25-10 दिनांक 25.07.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर से अनुरोध किया था तथा जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने पत्र संख्या: 311 दिनांक 25.07.2024 में यह प्रस्तुत किया कि साडा, उदयपुर में वर्तमान में केवल एक ही कर्मचारी है जिसके कारण कार्य की अधिकता के कारण उक्त अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया जा सका तथा भविष्य में उक्त रजिस्टर/अभिलेखों का अनुरक्षण कर दिया जाएगा तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा। सदस्य सचिव का उक्त प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है तथा भविष्य में उक्त रजिस्टर/अभिलेखों का अनुरक्षण कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. श्री जर्म चन्द पुत्र श्री स्व भागचंद को, क्लर्क एवं कार्य निरीक्षक (दैनिक भोगी) के तौर पर सरकार की अनुमति बिना नियुक्ति बारे:

TCP अधिनियम 1977 की धारा 69 (1) के अनुसार "Every Special Area Development Authority may appoint officers and servants as may be necessary and proper for the efficient discharge of its duties: Provided that no post shall be created save with the prior sanction of the State Government" व हिमाचल प्रदेश में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए अनुदान सहायता के भुगतान को विनियमित करने के नियम 3 के नीचे दिए गए नोट के अनुसार " Grant in aid will not be used to create new posts/filling up of staff. However, in case if it is

essential that new posts are required to be created/vacancies are to be filled, the permision of the govt. would be necessary."

हालाँकि अंकेक्षण के दौरान पाया गया श्री जर्म चन्द पुत्र श्री स्व भागचंद को, क्लर्क एवं कार्य निरीक्षक (दैनिक भोगी) के तौर पर 10/2016 से नियुक्त किया थे परन्तु इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व स्वीकृति जोकि उक्त नियमों के अनुसार अनिवार्य थी को प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतरिक्त श्री जर्म चंद की उक्त पद पर की गयी नियुक्ति का नियुक्ति पत्र व उनकी कार्यग्रहण सुचना भी अंकेक्षण को जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गयी थी।। इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या SADA/UDA/HPSAD/24-25-6 दिनांक 24.07.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर से अनुरोध किया था तथा जिसके प्रतिउत्तर में उन्होंने पत्र संख्या: 307 दिनांक 24.07.2024 में यह प्रस्तुत किया कि विकास प्राधिकरण, उदयपुर का कार्य को करने हेतु कोई भी कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28.11.2015 की मद 4 के अंतर्गत श्री जर्म चंद को दैनिक भोगी के आधार पर आवश्यकता अनुसार रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी इसके अतिरिक्त श्री जर्म चंद की नियुक्ति पर सरकार की अनुमति/स्वीकृति हेतु मामला उपयुक्त, लाहौल व स्पीति के माध्यम से पत्र दिनांक 02.01.2020 को उठाया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंकेक्षण को यह भी अवगत करवाया कि श्री जर्म चंद की नियुक्ति का मामला कार्योतर स्वीकृति हेतु सरकार से फिर से उठाया जाएगा तथा कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत कर दिया जाएगा। अत: उक्त बारे कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर अनियमितता को नियमित करवाया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

अंकेक्षणाधीन अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

15. **लघु आपत्ति विवरणिका**:- यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

16. **निष्कर्ष**:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष –0177–2626670

4005–4009
का0/50
09 AUG 2024

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15) (14) 340/2024 खण्ड–1 दिनांक,शिमला–09.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1 विशेष निजि सचिव, प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम नियोजन), हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
2 निदेशक, (नगर एवं ग्राम नियोजन) हि0प्र0 शिमला–9
3 उपायुक्त चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस प्रतिवेदन के पैरा 1(ख) में उठाई गई गम्भीर अनियमितताओं के निपटारे हेतु सम्बन्धित अधिकारी को उचित निर्देश जारी करें।
4 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय लोक लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला–04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत :– 5 सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण उदयपुर एवं उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) जिला लाहौल व स्पीति हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह उक्त प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करते हुये सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/50

पैरा (4.1.) में वर्णित

परिशिष्ट - 1

Financial Position (Own Source) SADA Udaipur 04/2019 to 03/2024.						
Year	Opening Balance	Income received during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2019-20	₹ 588,496.08	₹ 106,900.00	₹ 20,859.00	₹ 716,255.08	₹ 295.00	₹ 715,960.08
2020-21	₹ 715,960.08	₹ 159,400.00	₹ 20,021.00	₹ 895,381.08	₹ 0.00	₹ 895,381.08
2021-22	₹ 895,381.08	₹ 211,200.00	₹ 26,021.00	₹ 1,132,602.08	₹ 0.00	₹ 1,132,602.08
2022-23	₹ 1,132,602.08	₹ 560,600.00	₹ 23,973.00	₹ 1,717,175.08	₹ 55,000.00	₹ 1,662,175.08
2023-24	₹ 1,662,175.08	₹ 193,400.00	₹ 58,637.00	₹ 1,914,212.08	₹ 0.00	₹ 1,914,212.08

(पैरा संख्या 4.1.(i) में वर्णित) परिशिष्ट-2

Bank Reconcilation statement (Own Source) as on 31-03-2024	
Particulars	Amount
Closing Balance of Own Source cash Book as on 31-03-2024	₹ 1,941,212.08
Bank balance as on 31-03-2024 in a/c no SBI-11464858618	₹ 1,914,212.08
Difference	₹ 0.00

SDM cum Member Secretary
Special [illegible] Development Authority
Udaipur, [illegible] L&S, H.P. 176[illegible]

परिशिष्ट-3

(पैरा 4.अ. में वर्णित)

Financial Position (GIA) SADA Udaipur 04/2019 to 03/2024.						
Year	Opening Balance	Income received during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2019-20	592371.16	1250000.00	17736.00	1860107.16	1008263.00	851844.16
2020-21	851844.16	1500000.00	30600.00	2382444.16	975391.00	1407053.16
2021-22	1407053.16	1850000.00	29067.00	3286120.16	1339156.50	1946963.66
2022-23	1946963.66	2000000.00	42741.00	3989704.66	2214999.00	1774705.66
2023-24	1774705.66	0.00	32950.00	1807655.66	1375877.00	431778.66

(पैरा संख्या (4.11.(i)) में वर्णित) परिशिष्ट-4

Bank Reconcilation statement (GIA) as on 31-03-2024			
Particulars			Amount
Closing Balance of Grant in Aid cash Book as on 31-03-2024			₹ 431,778.66
Bank balance as on 31-03-2024			₹ 409,015.66
S.No	Name Of Bank	Account No	Balance as on 31-03-2024
1	SBI	11464857386	₹ 71,053.66
2	ICICI	453501000136	₹ 337,962.00
Difference			₹ 22,763.00
Electricity bill of Trilokinath Temple for Rs 22763/- wrongly paid out of SADA GIA-0136 Account on dated 12-03-2024 and credited back to same a/c on dated 05-04-2024			-₹ 22,763.00
Net Difference			₹ 0.00

पैरा संख्या (6.14) में वर्णित

परिशिष्ट - 5

Detail of unspent Grants as on 31-03-2024

Sr. No	Description of Grant	Received from	Amount	Remarks
1	For installation of Street light/ Solar light at Udaipur Market & Administrative premises being executing agency.	Deputy Commissioner Lahaul at Keylong	400000	Work not executed due to Administrative Reasons.

पैरा संख्या (6.14) में वर्णित परिशिष्ट - 6

Statement of pending utilization certificate in r/o SADA Udaipur as on 31.03.2024

Sr. No.	Name of Work	Amount (₹)	Executing Agency	Remarks
	Year 2019-20			
1	Construction of parking place at old bus stand Udiapur	350000	Executive engineer, HPPPWD Udaipur	
	Pit near CHC hospital Udaipur	70116	BDO Udaipur	
	Year 2020-21			
2	Addition Alteration of Room No. 9 of SADA Building Udaipur	57585	BDO Udaipur	
3	Installation of iron mesh over Kuhl from house of Shiv Kumar to SBI Udaipur	434700	BDO Udaipur	
	Year 2021-22			
4	Installation of 4 nos of street Light in SADA area Udaipur	50000	HPSEB Udaipur	
5	Installation of 4 nos of street Light in SADA area Udaipur	4000	HPSEB Udaipur	
6	Iron mesh over from kuhl from house of Shiv Kumar to SBI Udaipur	151269	BDO Udaipur	
7	Community toilets at Bridge Colony Udaipur	361956	BDO Udaipur	
	Year 2022-23			
8	Construction of parking near old bus stand Udaipur	200000	BDO Udaipur	
9	Construction of drain near GPS Udaipur	40000	BDO Udaipur	
	Total	**1719626**		

SDM [illegible]
[illegible]
Udaipur [illegible]

पैरा संख्या ५७(i) में वर्णित परिशिष्ट-७

Door to Door Garbage collection statement for the Period

04/2019 to 03/2024.

Year	Opening balance	Demand	Total	Rent Collected	Closing balance
2019-20	0	0	0	9300	0
2020-21	0	0	0	5400	0
2021-22	0	0	0	9600	0
2022-23	0	0	0	50400	0
2023-24	0	0	0	20000	0

Total = 94700

find.

परिशिष्ट-8

(पैरा संख्या न (III) में वर्णित)

Rent statement for the Period 04/2019 to 03/2024

Year	Opening balance	Demand	Total	Rent Received	Closing balance
2019-20	35778	151200	186978	97600	89378
2020-21	89378	151200	240578	154000	86578
2021-22	86578	151200	237778	201600	36178
2022-23	36178	151200	110200	110200	77178
2023-24	77178	151200	173400	173400	54978